<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2021 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2021/13

उनवान

1. श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छीराम ब्राह्मण, निवासी बिचलीमगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री महेश पिता शंकरलाल ब्राह्मण, निवासी बिचलीमगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री जगदीश पिता चिरंजीलाल ब्राह्मण, निवासी बिचलीमगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री शरद पिता चिरंजीलाल ब्राह्मण, निवासी बिचलीमगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नारायणलाल पिता चिरंजीलाल ब्राह्मण, निवासी बिचलीमगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री चन्द्रशेखर आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>
<u>अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, प्र.स. 16/2021 दिंनाक 29.01.2021</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक— 30-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 29.01.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का बामनिया के राजस्व ग्राम बिचली मगरी की आराजी संख्या 3415 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, 3454 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3455 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3411 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.9700 हेक्टेयर चरागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2021 दर्ज कर अपीलान्ट्स को नोटिस दिये गये। अपीलान्ट्स अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 14:45:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय मे दिनांक 29.01.2021 को उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उसी दिवस को निर्णय पारित कर दिया। ग्राम बामनिया, तहसील सलुम्बर के पुराने खसरा नम्बर 3478मी. थे, जिसमे से नये नम्बर 5740/3415 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3415 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 25.07.1975 को खोला गया। उक्त नामान्तरकरण मे दोनो आराजीयात को रकबा ढाई बीघा आबादी मे परिवर्तन किया गया। अपीलान्ट्स का कब्जा उक्त आराजीयात पर था। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी मे अंकन न होने से सेटलमेंट मे उक्त भूमि को चरनोट दर्शाया गया है। अपीलान्ट्स वर्ष 1955 के पूर्व से काबिज हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुए है एवं अपीलान्ट्स के पास अन्य कोई मकान न होने से अपीलान्ट्स को बेदखल नहीं किया जावें। वर्ष 1974 मे उक्त मकान एवं बाडे बने होने से उपखण्ड़ अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर चरनोट से भूमि को बिलानाम आबादी दर्ज करने के आदेश पर नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 25.07.1975 को आबादी दर्ज होने की स्वीकृति जारी हुई, परन्तु दौराने सेटलमेंट इस का अंकन न होने से भूमि चरनोट दर्ज रह गई। आराजी संख्या 3415 एवं 5740/3415 पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि बिचली मगरी की खसरा संख्या 3401 रकबा 1.5300 हेक्टेयर मे स्थित है। अपीलान्ट्स ने अपनी खातेदारी भूमि मे से ढाई बीघा भूमि चारागाह के बदले अधिनस्थ न्यायालय को देने के लिये भी कहा, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलान्ट्स के ही परिवार का सदस्य है, किन्तु वह बाहर होने से प्रकरण मे उसको रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार सलुम्बर की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कल्पित जैन द्वारा उपस्थिति दी गई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर से मूल पत्रावली संख्या 16/2021 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए अपीलान्ट्स का कथित आराजी पर पुराना कब्जा होना, जवाब हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान न करना, नियम विरूद्ध धारा 91 का नोटिस जारी करना, नामान्तरकरण संख्या 1290 के अनुसार जमाबंदी मे अंकन न होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested

आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने की मांग की। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त ढाई बीघा चारागाह भूमि के बदले अपीलान्ट्स उनकी खातेदारी आराजी संख्या 3401 रकबा 1.5300 हेक्टेयर भूमि मे से भूमि देने को तैयार हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जावें।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व ग्राम बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 3415 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, 3454 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3455 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3411 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.9700 हेक्टेयर किस्म छा.क. भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। कथित भूमि चारागाह हेतु आरक्षित है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मे स्वयं चारागाह भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया हैं। चारागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है एवं उस पर अतिक्रमण करना अवैध गतिविधि है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिनुकुल होने से अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स की अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण राजस्व ग्राम बिचली मगरी, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 3415 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, 3454 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3455 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 3411 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.9700 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे तहसीलदार द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नोटिस जारी कर अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। मामले मे अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हैं। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित भूमि चारागाह है। अपीलान्ट्स का कथन है कि वह चारागाह भूमि के बदले अपनी खातेदारी भूमि छोड़ने को तैयार हैं, किन्तु इस आशय बाबत् उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे कोई प्रत्युत्तर प्रेषित किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजुद नहीं हैं। यदि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अभिलेख मे कोई परिवर्तन हुआ हो या जमाबंदी मे अंकन रह गया हो तो इसमे सुधार हेतु अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही [illegible] राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक [illegible]10(3)राज–6/[illegible]001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय [illegible] सिविल अपील न. 1132/2011@

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested

SLP(C)No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार सलुम्बर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि ऐसी भूमियों पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested